

राजस्थान सरकार

राजस्व (अ-क) भाग

क्रांति:- पठ 6[12]राज/6/92/1

जयपुर, दिनांक 02.01.97

:- अधिसूचना :-

राजस्थान में राजस्व अधिनियम, 1956 [राजस्थान अधिनियम संख्या 15, 1956] की धारा 260 के तहत [राजस्थान] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत भू-अधीन अधिभारों पर अधिभारित व्यक्तियों एवं गांवों का प्रयोग तत्पक्षित भू-प्रत्येक अधिभारों द्वारा उत्पन्न केन्द्राधीन के भीतर उन क्षेत्रों में किया जायेगा जहाँ उन्हें ताम रेगर्ड कार्यवाही चल रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

{ जे.पी.ए. तंज }
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न की सूचार्थ एवं आवश्यक शर्तवाही हेतु भिजवा दी :-

1. निजी सचिव, राजस्व सचिव / राजस्व सचिव महोदय / राजस्व सचिव / राजस्व सचिव, राजस्थान ।
2. अस्त सचिव, राजस्व, राजस्थान ।
3. अस्त सचिव, राजस्व, राजस्थान ।
4. पंजीयक, राजस्व, राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, राजस्व, राजस्थान, जयपुर ।
6. निदेशक, राजस्व, राजस्थान, जयपुर ।
7. निदेशक, राजस्व, राजस्थान, जयपुर ।
8. "राजस्थान" राजस्थान, राजस्थान, जयपुर ।

प्रति... 2 पर